(1)

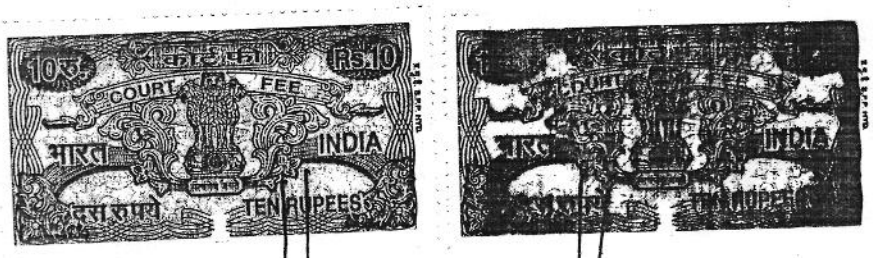

10रु. कोर्ट फीस Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

BEFORE THE HON'BLE BOARD OF REVENUE GWALIOR MADHYA PRADESH

निगरानी - 5188/2018/देवास/भू.रां **Revision No.** /2018

Applicant :- 1. JayeshParashar S/o Shri Om PrakashJiParashar

2. NeelamParashar W/o JayeshParashar

Both R/o 87,Tilak Nagar Indore (M.P)

3. Indresh Gupta S/o ShriGirdharGupta

R/o Pipri, Tehsil Bagli, District Dewas (M.P)

पार्थी ... श्री अमित उपाध्याय
द्वारा प्र...
दिनांक ..17/7/18
17.7.18
...क्षक
...युक्त कार्यालय
उज्जैन

VERSUS

Respondent :- Anik Industries Limited

Corporate Office at 2/1, South Tukoganj,

Through Director Shri Manish Shahra S/o Shri Suresh Shahra R/o Indore POA holder NileshJagtap S/o ShriArunJagtap R/o MOG Indore (M.P.)

535
17/7/18

Revision Application under Section 50 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959

The Applicants named above respectfully beg to submit as under:-

The applicants are filing the present revision on being aggrieved by the order dated 18/05/2018 passed in Appeal No 253/Appeal/2014-15 whereby Additional Commissioner Ujjain division, Ujjain confirmed the order passed by the Sub-divisional Officer, Bagli, District Dewas who have maintained the order dated 19/10/2012 in Case no 1/A-6/2012-13 passed by Nayab Tehsildar while dismissing the Applicant's mutation application filed U/S 109-110 of MPLRC.

Facts of the Case :

(3) The Applicants have purchased a part of agricultural land from respondent situated at Nimanpur Patwari Halka No. 74 Tehsil Bagli Dist Dewas, Survy No. 40 Rakba 4.376 Hect. Earlier the said land was legally recorded in revenue records by

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 5188/2018/देवास/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/01/2019	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 253/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 18-5-18 के म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा ग्राम निमनपुर पटवारी हल्का नं0 74 तहसील बागली जिला देवास स्थित भूमि सर्वे नं0 40 रकबा 4.376 हैक्टर को अनावेदक से दिनांक 1-8-12 को पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर क्रय की जाकर नामांतरण हेतु आवेदन विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 109, 110 के तहत पेश किया गया जो तहसीलदार द्वारा निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश् दिनांक 18-5-18 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की गई है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो निगरानी मेमो में उल्लिखित किये गये हैं । 4/ अनावेदक की ओर से यह कहा गया कि उनके द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किया गया है, उक्त भूमि पर आवेदकगण का नामांतरण किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5/ प्रकरण का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया । इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन को निरस्त करने का एकमात्र आधार यह लिया गया है कि संबंधित ग्राम की भूमि के संबंध में कार्यालय सरदार सरोवर परियोजना फर्जी विक्रयपत्र एवं पुनर्वास स्थल अनियमितता जांच आयोग इंदौर के समक्ष प्रकरण लंबित होना बताया गया है । इस संबंध में आवेदकगण की ओर से कहा गया कि उक्त आधार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक रिट पिटीशन (सी) 328/2002 तथा एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 7663/2016 में पारित आदेश दिनांक 8-2-17 के आलोक में समाप्त हो चुका है तथा जांच आयोग का अस्तित्व अब नहीं रहा है एवं उसके समक्ष कोई प्रकरण भी उपरोक्त वर्णित भूमि के संबंध में नहीं बचा है । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम निमनपुर पटवारी हल्का नं0 74 तहसील बागली जिला देवास स्थित भूमि सर्वे नं0 40 रकबा 4.376 हैक्टर को अनावेदक से दिनांक 1-8-12 को पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा क्रय किया गया है । आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 7663/2016 में पारित आदेश दिनांक 8-2-17 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में जांच आयोग के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उक्त जांच आयोग का अस्तित्व समाप्त हो चुका है तथा उक्त आदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि जांच आयोग के समक्ष लंबित रही समस्त कार्यवाहियां भी समाप्त हो चुकी हैं, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं । परिणामत: यह निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 5188/2018/देवास/मू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण द्वारा अनावेदक से पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा क्रय की गई प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण की कार्यवाही नियमानुसार की जाये'। पक्षकार सूचित हों । (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	